नगर विकास न्यास सीकर

पट्टा–विलेख (फ्री होल्ड)

संस्थागत

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 4166 दिनांक 02-12-2022

पट्टा धारक मैसर्स सम्बल शिक्षण संस्थान

कार्यालय पता शिवसिंहपुरा, सीकर

जरिये सचिव

(पदनाम) ~~श्री / श्रीमती / सुश्री~~ डॉ. अनिल आर्य पुत्र / ~~पुत्री~~ स्व० श्री सांवरमल आर्य

निवासी ग्राम पोस्ट कूडली तहसील व जिला सीकर

भूखण्ड सं. / खसरा सं. 720/236, 242 क्षेत्रफल 3758.00 वर्ग मीटर (तीन हजार सात सौ अट्ठावन)

राजस्व ग्राम शिवसिंहपुरा खसरा सं. 720/236, 242

योजना एकल संस्थानिक पट्टा (शिक्षण संस्थान) में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 02-12-2022 को निष्पादित किया जाता है।

सरकार का हाथ, जनता के साथ

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. अनिल आर्य
2. ....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

नोट – शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
सीकर (राज०)

- पंजीकृत / पृष्ठांकन संलग्न है।
- **Registered and Endorsement Attached**

संस्थागत

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर–कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड / निर्मित क्षैत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावें।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप–पट्टे (सब–लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय / हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार / जीवन बीमा निगम / ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नही होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन / पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरूद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता / गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया हैं। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पालना नही करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य प्रिमियम 281850/–, लीजमनी 281850/–, शहरी विकास शुल्क 375200/–

नोट :– आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नही होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:–

पूर्व खसरा सं· 242 की शेष भूमि

उत्तर खसरा सं· 234 व 235

पश्चिम खसरा सं· 719/236 व अन्य भूमि

दक्षिण खसरा सं· 651/237, 366/241, 653/241

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. अनीष आर्य

अंगूठा निशान

2. ....

अंगूठा निशान

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

साक्षी :–

हस्ताक्षर मधु आर्य

नाम डा. मधु आर्य

पता शिवसिंहपुरा, सीकर

अंगूठा निशान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (RAS) मय मोहर

सचिव

नगर विकास न्यास, सीकर

- पंजीकृत / पृष्ठांकन संलग्न है।
- **Registered and Endorsement Attached**

पट्टा क्रमांक 4166 दि. 02-12-2022 का साईट प्लान

SITE PLAN OF LAND KH. NO. 720/236, 242 AT VILL. SHIVSINGHPURA

LEASE HOLDER	-	SAMBAL SIKSHAN SANSTHAN
KHASRA NO.	-	$\frac{720}{236}$, 242
REVENUE VILL	-	**SHIVSINGHPURA**

"प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021"

नगर विकास न्यास सीकर

कार्यालय उप पंजीयक

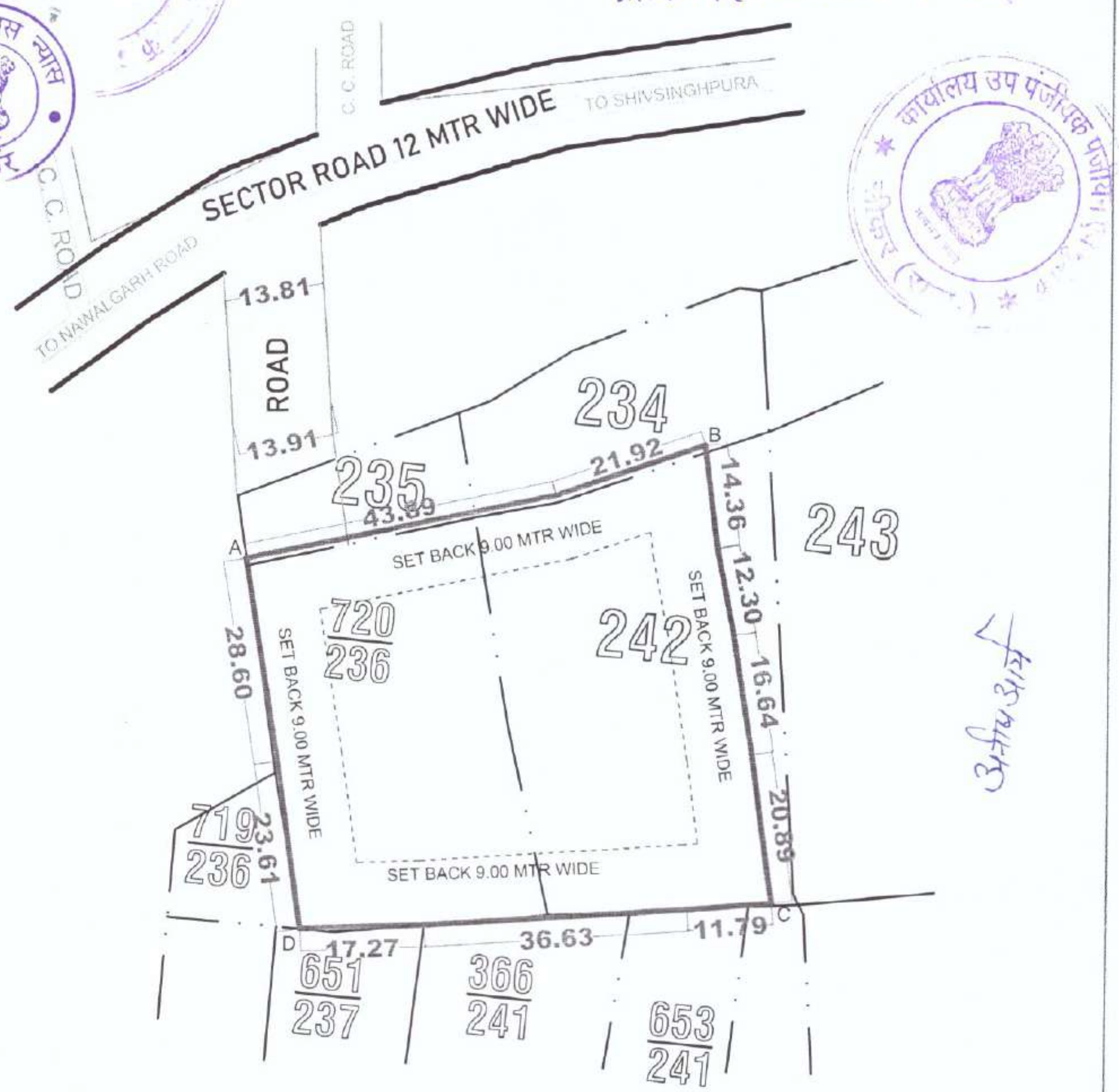

AREA IN KH. NO.242=2500.00 SQ. MTR

AREA IN KH. NO.720/236=1600.00 SQ. MTR

AREA AVAILABLE AT SITE=3758.00 SQ. MTR

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
सीकर (राज.)

(दीपक कुमार योगी)
J.EN
कनिष्ठ अभियन्ता
नगर विकास न्यास, सीकर

(माहमूद अजहर जादू)
D.T.P.
उप नगर नियोजक

राजकमल यादव (RAS)
SECRETARY
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR

कार्यलय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी सीकर

क्रमांक : 614-620 राजस्व /06 दिनांक 26.8.2006

संपरिवर्तन आदेश

सम्बल शिक्षण संस्थान शिवसिंहपुरा जरिये अध्यक्ष श्री प्रतराम आर्य पुत्र स्व. श्री मुकन्दा राम आर्य एवं श्रीमति मधु आर्य पत्नि डां. अनिष आर्य निवासी ग्राम कुड़ली तहसील सींकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिए राजस्थान भू–राजस्व संपरिवर्तन नियम 1992 के नियम (8) (2)(8)(3) के अधीन अकृषि प्रयोजनो के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम :– सम्बल शिक्षण संस्थान शिवसिंहपुरा जरिये अध्यक्ष श्री प्रतराम आर्य पुत्र स्व. श्री मुकन्दा राम आर्य एवं श्रीमति मधु आर्य पत्नि डां. अनिष आर्य निवासी ग्राम कुड़ली तहसील सीकर
2. क्या आवेदक अनु0 जाति या अनुव जनजाति का सदस्य है :– नही
3. स्पंरिवर्तन भूमिका का ब्योरा :–

   (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम :– ग्राम शिवसिंह पुरा पंचायत कुड़ली, सीकर

   (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) खसरा नं. 362 / 237 रकबा 0.16 है0, 365 / 241 रकबा 0.13 है0, 367 / 241 रकबा 0.08 कुल रकबा 0.37 है0 (3700.00 वर्ग मीटर)

   (ग) प्रत्येक खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (है0 या वर्ग मीटर में) :– रकबा 0.37 है0 (3700.00 वर्ग मीटर)

टिप्पणी :– अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए रा0 नक्शे के सुसगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति सलंग्न है।

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :– संस्थानिक शिक्षण कार्य हेतु।
5. संदेय प्रीमियम की दर :– 10रु. / वर्ग गज की दर से
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गयी प्रीमियम की रकम :–चालान स. 288 दिनांक 26.8.06 के द्वारा रुपान्तरण शुल्क रूपये 44252.00 / (चमालिस हजार दो सौ बावन मात्र) राज्य कोष में जमा हेा चुके है।
7. चालान की सं0 तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :–नहीं।

8. चालान की सं0 तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :—नहीं।

9. क्या आदेश नियमितीकरण के नियम 12 के अधिन जारी किया गया है ।:—नहीं।

10. अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो :—नहीं।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्ययाधीन होगा :—

(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होनें की तारीख से दो वर्ष की कालावधी के भीतर से संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है। तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जावेगी आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(3) नियम 4में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।

(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित अधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा

(5) संपरिवर्तित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य हाइवे प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित दूरी व उचाई तक ही किया जाना वैध होगा।

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी सीकर हस्ताक्षर

क्रमांक : 614-620 दिनांक 26-8-06

प्रतिलिपि

1. श्री मान जिला कलेक्टर महोदय सीकर
2. तहसील दार सीकर
3. जिला राजस्व लेखाकार जिला कार्यालय सीकर
4. सम्बधित ग्राम पंचायत कुडली / पटवारी हल्का
5. सम्बधित श्रीमति मधु आर्य पत्नि डां.अनिष आर्य, सचिव सम्बल शिक्षण संस्थान, शिवसिंह पुरा निवासी ग्राम कुडली तहसील सीकर

26.08.06

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी सीकर हस्ताक्षर